भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3388

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाएं

†3388. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार और काकीनाडा जिले सहित जिला-वार कितनी जानलेवा और गैर-जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) गड्ढों, तेज गति, आमने-सामने की टक्कर और अन्य कारकों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के आंकडे सहित सड़क दुर्घटनाओं के प्राथमिक कारणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा पहलों के लिए वर्ष-वार कितनी-कितनी निधि आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार सड़क पर गड्ढों जैसी खतरनाक स्थितियों की मौके पर ही मरम्मत के लिए प्रौद्योगिकियों या उपकरणों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को समर्थन दे रही है और यदि हां, तो आवंटित निधि और उस पर हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) काकीनाडा जैसे उच्च जोखिम वाले जिलों में सड़क सुरक्षा अवसंरचना को बढ़ाने और दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सड़क सुरक्षा उपायों के लिए जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में सभी श्रेणियों की सड़कों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार घातक और अघातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अनुलग्नक - । के रूप में संलग्न है।

रिपोर्ट के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं बहु-कारणीय होती हैं जिसमें तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, नशे में/शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना/लेन अनुशासनहीनता, लाल बत्ती जंप करना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहन की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति आदि शामिल हैं।

(ग) केंद्र स्तर पर कोई विशिष्ट सड़क सुरक्षा कोष नहीं है। सड़क सुरक्षा कोष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर स्थापित किए गए हैं। तथापि, सड़क सुरक्षा हर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा पहल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की शुरुआत के साथ प्रारंभ होती है क्योंकि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा ऑडिट को लेखा परीक्षकों / विशेषज्ञों के माध्यम से सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में अनिवार्य कर दिया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, व्यापक सड़क सुरक्षा पहलुओं पर व्यय राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए शामिल संरचनाओं के आधार पर विकास परियोजनाओं की कुल लागत के 2.21% से 15% तक भिन्नता होती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार सड़क प्रयोक्ताओं के मध्य जागरूकता और प्रचार-प्रसार के लिए योजना भी लागू करती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभागों को मॉडल (आदर्श) ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र स्थापित करने, आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन पहलों के लिए जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक- II में दिया गया है।

(घ) गड्ढे की मरम्मत, भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों जैसे 'स्टेट ऑफ आर्ट: फ्लेक्सिबल पेवमेंट फॉर मोबाइल रूटीन मेंटेनेंस फैसिलिटी' पर विशेष रिपोर्ट के अनुसार की जाती है।

(ङ) और (च) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए 4ई अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित एक बहुआयामी कार्यनीति तैयार की है। तदनुसार, देश में सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'सड़क दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री तंगेला उदय श्रीनिवास के द्वारा दिनांक 12.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3388 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
		घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातक
1	आंध्र प्रदेश	6531	12978	7585	13971	7688	13561	7516	12433	7722	11835
2	अरुणाचल प्रदेश	61	73	150	133	123	104	124	163	138	139
3	असम	2483	4112	2893	4518	2837	4186	3101	4320	3176	4672
4	बिहार	6197	2442	7061	2492	8242	2559	8286	2728	8504	3106
5	छत्तीसगढ़	4234	7422	4982	7393	5446	7833	5743	7725	6463	8394
6	गोवा	213	2162	218	2631	253	2758	272	2574	271	2411
7	गुजरात	5622	7776	6825	8361	6999	8752	7225	9124	7088	8500
8	हरियाणा	4181	5250	4403	5530	4593	5836	4652	5811	4389	5417
9	हिमाचल प्रदेश	734	1505	871	1533	864	1733	727	1526	741	1415
10	झारखंड	2775	1630	3221	1507	3570	1605	3799	1516	3773	1423
11	कर्नाटक	9084	25094	9458	25189	10854	28908	11603	31837	11616	31446
12	केरल	2823	25054	3262	30034	4104	39806	3884	44207	3702	45132
13	मध्य प्रदेश	9874	35392	10806	38071	12183	42249	12745	42582	13661	43008
14	महाराष्ट्र	10773	14198	12554	16923	14058	19325	14119	21124	14565	21553
15	मणिपुर	112	320	99	267	109	399	71	327	68	231
16	मेघालय	130	84	150	95	147	99	151	72	179	90
17	मिजोरम	41	12	48	21	94	39	80	26	101	17
18	नागालैंड	46	454	56	690	67	422	75	228	56	73
19	ओडिशा	4391	5426	4756	6227	5140	6523	5395	6597	5779	6596

20	पंजाब	3646	1557	4250	1621	4418	1720	4516	1753	4445	1618
21	राजस्थान	8363	10751	9055	11896	10061	13553	10657	14037	10775	14063
22	सिक्किम	34	104	40	115	58	153	56	126	63	86
23	तमिलनाडु	13868	35976	14747	40935	17080	47025	17526	49687	17640	49886
24	तेलंगाना	6429	12743	7080	14235	7057	14562	7186	15717	7495	18491
25	त्रिपुरा	179	287	181	298	232	343	242	335	213	365
26	उत्तराखंड	592	449	742	663	851	823	925	766	929	818
27	उत्तर प्रदेश	17075	17168	19026	18703	20524	21222	21653	22881	22013	24039
28	पश्चिम बंगाल*	4774	6089	5405	6532	5626	8060	5664	8131	6172	7530
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	129	19	96	19	122	23	120	26	109
30	चंडीगढ़	50	109	94	114	79	158	64	118	72	97
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	61	39	71	69	88	108	73	109	88	64
32	दिल्ली	1163	3015	1206	3514	1428	4224	1432	4402	1504	4153
33	जम्मू और कश्मीर	623	4237	642	4810	654	5438	730	5568	676	5132
34	लद्दाख		0	48	188	60	314	49	240	59	205
35	लक्षद्वीप	0	1	1	3	0	3	0	1	0	0
36	पुडुचेरी	133	836	158	891	175	1006	145	1163	216	1215
कुल		127307	244874	142163	270269	155781	305531	160509	320074	164378	323329

नोट *वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल के आंकड़े, वर्ष 2023 के लिए राज्य पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के पैटर्न और वर्ष 2024 के लिए राज्य के समग्र ई-डीएआर डेटा के आधार पर पुनः तैयार किए गए हैं

अनुलग्नक-II

'सड़क दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री तंगेला उदय श्रीनिवास के द्वारा दिनांक 12.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3388 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत पांच वित्त वर्षों के दौरान विभिन्न सड़क सुरक्षा पहलों/योजनाओं के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निधियों का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**गतिविधि / कार्यक्रम**	**बजट अनुमान वि.व. 2020-21**	**वि.व. 2020-21 में व्यय**	**बजट अनुमान वि.व. 2021-22**	**वि.व. 2021-22 में व्यय**	**बजट अनुमान वि.व. 2022 - 23**	**वि.व. 2022 - 23 में व्यय**	**बजट अनुमान वि.व. 2023 - 24**	**वि.व. 2023 - 24 में व्यय**	**बजट अनुमान वि.व. 2024 - 25**	**वि.व. 2024 - 25 में व्यय**
1	सड़क सुरक्षा प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (एनएचएआरएसएस), असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास आदि।	171.00	65.94	109.00	41.48	189.50	68.67	138.10	85.04	103.50	99.20
2	निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र (राजस्व)	29.00	16.20	29.00	14.15	33.00	14.60	24.00	17.77	19.50	10.65
3	जन परिवहन प्रणाली में सुधार और सुदृढ़ीकरण	89.00	30.60	103.00	10.80	15.00*	30.33	50.00	38.00	38.00	16.04

*संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर *40.00 करोड़ रु.*

अनुलग्नक-III

'सड़क दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री तंगेला उदय श्रीनिवास के द्वारा दिनांक 12.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3388 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए की गई विभिन्न पहलों का विवरण: -

(1) शिक्षा:

i. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना। हाल ही में, संशोधित योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि और पात्रता मानदंडों को सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण-परीक्षण क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआई) के साथ मिलकर स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है।
ii. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए सड़क सुरक्षा समर्थन योजना संचालित करता है।
iii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाना।

(2) इंजीनियरिंग:

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित करने और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता देना।
iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए अभिहित किया गया है।
iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार गृह स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।
vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।

ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान:-

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)

ख. सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड

ग. अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल हैं] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। इन नियमों में दिनांक 31.10.2022 और दिनांक 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं के सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया।

xii. एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के मानकों के संशोधन के लिए 1 अप्रैल 2025 को नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

xiii. मध्यम और भारी शुल्क वाहनों में सक्रिय सुरक्षा सुविधाओं के लिए प्रकाशित नियम, जो एम2, एम3, एन1, एन2, एन3 और क्वाड्रिसाइकिल (1 जनवरी, 2027 से नए मॉडल के लिए और 1 अक्टूबर, 2027 से मौजूदा मॉडल के लिए प्रभावी) के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग, एंड्योरेंस ब्रेकिंग सिस्टम सहित ब्रेकिंग सिस्टम, और वाहन स्थिरता फंक्शन (वीएसएफ), लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली (एलडीडब्ल्यूएस), ड्राइवर का उनींदापन और ध्यान चेतावनी प्रणाली, ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली और एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों के लिए चेतावनी सूचना प्रणाली (1 अक्टूबर, 2027 से नए मॉडल के लिए और 1 जनवरी, 2028 से मौजूदा मॉडल के लिए प्रभावी) प्रदान करते हैं।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है। यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। जबकि केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ii. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए गए। ये नियम भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

iii. सरकार ने पूंजी निवेश 2025-26 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई 2025-26) के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन हेतु 3,000 करोड़ रुपये (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) के आवंटन के साथ दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iv. 10 जून, 2024 को सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए योजना (राह-वीर के रुप में नामकरण) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और बिना किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुँचाते हैं। योजना के अनुसार, राह-वीर के लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।

ii. हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

iv. सरकार ने 5 मई, 2025 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को अधिसूचित किया है। प्रक्रिया प्रवाह, हितधारक-वार मानक संचालन प्रक्रियाओं और स्पष्ट रूप से चित्रित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित विस्तृत दिशानिर्देश भी 4 जून, 2025 को अधिसूचित किए गए हैं।

*****